

आखिरी जांच: 29 सितंबर 2026

एसटी विद्यार्थी मासिक पास रियायत कैसे पाएं

साधारण बसों के मासिक पास पर विद्यार्थियों को 66.67 प्रतिशत रियायत मिलती है। इसके लिए आप डिपो में NCMC कार्ड का आवेदन करते हैं, और फॉर्म पर स्कूल का प्रमाण लगता है।

आवेदन: कार्यालय में

फीस: हमारे जांचे हुए आधिकारिक स्रोत में इसका उल्लेख नहीं है

आधिकारिक पोर्टल: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी)

आधिकारिक स्रोत में उल्लेख नहीं है। एसटी की फॉर्म सूची में विद्यार्थी पास के फॉर्म की आवेदन फीस 5 रुपये दी गई है, पर NCMC कार्ड और पास की कीमत नहीं बताई गई।

आधिकारिक स्रोत में उल्लेख नहीं है। हमारे जांचे हुए पेजों पर नहीं बताया गया कि NCMC कार्ड बनने में कितना समय लगता है।

सीधा जवाब

डिपो प्रबंधक से विद्यार्थी NCMC कार्ड का फॉर्म लें (वह एसटी की वेबसाइट पर भी है) और उसे भरें। स्कूल के प्रमाण वाला हिस्सा प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर और मुहर के साथ भरवाएं, फिर फॉर्म डिपो में जमा करें। मासिक पास पर रियायत 66.67 प्रतिशत है और यह साधारण बसों के लिए है। कार्ड जारी होने पर उसका नंबर आपके फॉर्म पर लिखा जाता है।

शुरू करने से पहले क्या चाहिए

- स्कूल या कॉलेज का नाम, पता और UIDAS कोड (कोड स्कूल भरता है)
- आपका सरल, PEN या APPAR नंबर और आधार नंबर
- आपका रास्ता: कहां से कहां तक सफर करते हैं
- हस्ताक्षर के लिए माता पिता या अभिभावक। फॉर्म में लिखा है कि कक्षा 11 से आगे के विद्यार्थियों को इसकी ज़रूरत नहीं।

चरण दर चरण

1. **देखें कि रियायत आपके सफर पर लागू है।** विद्यार्थी मासिक पास पर रियायत 66.67 प्रतिशत है। एसटी की तालिका में यह सिर्फ साधारण बसों के लिए दी गई है।
2. **फॉर्म लें।** डिपो प्रबंधक या स्थानक प्रमुख से विद्यार्थी NCMC कार्ड का फॉर्म मांगें। एसटी ने उसे अपनी वेबसाइट पर Student NCMC Card application form के नाम से भी दिया है।
3. **अपनी जानकारी भरें।** विद्यार्थी का नाम, जन्मतिथि, कक्षा, घर का पूरा पता, स्कूल का नाम और पता, सरल, PEN या APPAR नंबर, फोन नंबर, कहां से कहां तक का रास्ता और शैक्षणिक वर्ष लिखें।
4. **फॉर्म पर हस्ताक्षर करें।** विद्यार्थी हस्ताक्षर करता है। माता पिता या अभिभावक हस्ताक्षर करते हैं या अंगूठे का निशान देते हैं। फॉर्म में लिखा है कि कक्षा 11 से आगे के विद्यार्थियों को अभिभावक के हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं।
5. **स्कूल का प्रमाण भरवाएं।** प्रधानाध्यापक स्कूल के प्रमाण वाला हिस्सा भरते हैं। उसमें स्कूल का UIDAS कोड, विद्यार्थी का सरल, PEN या APPAR नंबर और आधार नंबर होता है, और उस पर हस्ताक्षर व स्कूल की मुहर होती है।
6. **फॉर्म डिपो में जमा करें।** फॉर्म डिपो प्रबंधक या स्थानक प्रमुख को दें। एसटी के फॉर्मों की सूची में स्कूली विद्यार्थियों के पहचान पत्र या पास के फॉर्म के लिए 5 रुपये आवेदन फीस दी गई है, इसलिए काउंटर पर पूछें कि कितना देना है।
7. **कार्ड लें।** डिपो आपका NCMC कार्ड नंबर फॉर्म पर लिखता है, और आप हस्ताक्षर करके मानते हैं कि मासिक रियायत पास के लिए ज़रूरी कार्ड आपको मिल गया।

कागज़ात

फॉर्म और हस्ताक्षर

- विद्यार्थी NCMC कार्ड का फॉर्म, भरा हुआ और विद्यार्थी के हस्ताक्षर वाला
- माता पिता या अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (फॉर्म के अनुसार कक्षा 11 से आगे ज़रूरी नहीं)
- स्कूल के प्रमाण वाला हिस्सा, प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर और स्कूल की मुहर के साथ

फॉर्म में मांगे गए नंबर

- विद्यार्थी का आधार नंबर
- सरल, PEN या APPAR नंबर
- स्कूल का UIDAS कोड, जो स्कूल भरता है

फॉर्म में फोटो या किसी और प्रमाण का ज़िक्र नहीं है। और कुछ चाहिए या नहीं, यह डिपो में पूछें।

आवेदन के बाद

- डिपो NCMC कार्ड जारी करता है और उसका नंबर आपके फॉर्म पर लिखता है।
- एसटी के नियमों के अनुसार आप इस NCMC कार्ड से रियायती मासिक पास पर सफर करते हैं।
- कार्ड जारी होने में कितना समय लगता है, यह हमारे जांचे हुए पेजों पर नहीं बताया गया।

आधिकारिक पोर्टल: https://msrtc.maharashtra.gov.in/GeneralPages/CitizensCharter7_TravelTicFac.aspx

आधिकारिक स्रोत: https://msrtc.maharashtra.gov.in/GeneralPages/CitizensCharter7_TravelTicFac.aspx

Labh Lo: <https://labhlo.in/hi/guides/msrtc-student-monthly-pass-concession/>



Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी मंच है। यह मार्गदर्शिका आधिकारिक स्रोत का सारांश है, सरकारी दस्तावेज़ नहीं। नियम, फीस और वेबसाइट बदल सकती हैं, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल देख लें।